(119)

न्यायालय श्रीमान् सदस्य महोदय राजस्व मण्डल ग्वालियर कोर्ट कैम्प रीवा (म0 प्र0)

R S100-II/17

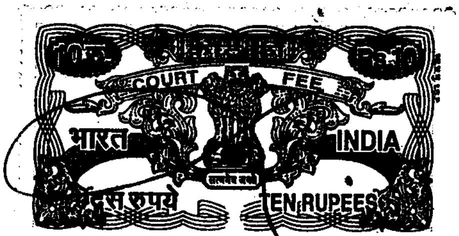

उमा शंकर द्विवेदी तनय श्री राजमणि द्विवेदी आयु 58 वर्ष निवासी ग्राम करहिया तहसील मऊगंज जिला रीवा (म0 प्र0)।

——निगरानीकर्ता/आवेदक

विरूद्ध

1. अंजनी प्रसाद द्विवेदी तनय चन्द्र शेषर प्रसाद द्विवेदी आयु 70 वर्ष, निवासी ग्राम करहिया तहसील मऊगंज जिला रीवा (म0 प्र0)।
2. अरूण कुमार द्विवेदी तनय वैद्यनाथ द्विवेदी आयु 50 वर्ष, निवासी ग्राम करहिया तहसील मऊगंज जिला रीवा (म0 प्र0)।
3. उदय कुमार द्विवेदी तनय वैद्यनाथ द्विवेदी आयु 45 वर्ष, निवासी ग्राम करहिया तहसील मऊगंज जिला रीवा (म0 प्र0)।
4. मनोज कुमार द्विवेदी तनय वैद्यनाथ द्विवेदी आयु 40 वर्ष, निवासी ग्राम करहिया तहसील मऊगंज जिला रीवा (म0 प्र0)।

—— गैर निगरानीकर्ता/अनावेदकगण

कलर्क आफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर
(सर्किट कोर्ट) रीवा

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी मऊगंज द्वारा प्रकरण क्रमांक 46 ए.27/ 2014–15 में पारित आदेश दिनांक 26.02.2016 के विरुद्ध

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
आवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 5100—दो / 2017 जिला रीवा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
15—5—2017	आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया। आवेदक द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी मऊगंज/हनुमना जिला रीवा के प्रकरण कमांक 26—8—2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। प्रश्नाधीन आदेश की सत्यापित प्रति के अवलोकन से स्पष्ट है कि अनुविभागीय अधिकारी ने आवेदक द्वारा प्रस्तुत अपील को अवधि बाधित मानते हुये खारिज किया है। अनुविभागीय अधिकरी द्वारा प्रस्तुत अपीलाधीन आदेश के विरूद्ध म0प्र0 भू—राजस्व संहिता 1959 की धारा 44 में निगरानी का प्रावधान न होकर द्वितीय अपील का प्रावधान है। आवेदक चाहे तो सक्षम न्यायालय में अपील प्रस्तुत करने के लिए स्वतंत्र है। दर्शित परिस्थितियों यह निगरानी आधारहीन होने ग्राह्यता के स्तर पर निरस्त की जाती है। पक्षकार सूचित हो। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो। (एस0 एस0 अली) सदस्य	